केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
नई दिल्ली

12 अगस्त, 2014

अधिसूचना

सं.एल–1/93/2009–केविविआ : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सार्मथ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण तथा अन्य सहबद्ध विषयों में संयोजकता, दीर्घ–कालिक पहुंच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना) विनियम, 2009 (जिसे इसे इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण तथा अन्य सहबद्ध विषयों में संयोजकता, दीर्घ–कालिक पहुंच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना) (चौथा संशोधन) विनियम, 2014 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (7) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(7) इस विनियम के खंड (6) और अस्थिर (इंफर्म) ऊर्जा के संबंध में ऊर्जा क्रय करार के किसी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उत्पादन केन्द्र, जिसमें कैप्टिव उत्पादन संयंत्र भी है, की ऐसी ईकाई, जिसे इन विनियमों के अनुसार अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली हेतु ग्रिड के लिए संयोजकता प्रदान की जा चुकी हो, को निम्नानुसार उल्लिखित अवधियों के लिए संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् सीओडी से पूर्व कमीशनिंग अवधि, जिसमें परीक्षण और पूर्ण भार परीक्षण भी है, के दौरान ग्रिड में इंफर्म ऊर्जा के अंतःपरिवर्तन की अनुज्ञा दी जाएगीः

(क) स्टार्ट–अप ऊर्जा की निकासी प्रथम सिंक्रोनाईजेशन की प्रत्याशित तारीख से पूर्व 15 मास से अनधिक तथा प्रथम सिंक्रोनाईजेशन की तारीख के पश्चात् 6 महीनों से अधिक नहीं होगी।

(ख) अस्थिर ऊर्जा का अंतःक्षेपण प्रथम सिंक्रोनाईजेशन की तारीख से 6 महीनों से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह कि स्टार्ट–अप ऊर्जा की निकासी, प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगी और उत्पादक को स्टार्ट–अप ऊर्जा की निकासी से पूर्व, दो माह पारेषण प्रभारों के समतुल्य अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किए गए परिक्रमी एवं अप्रतिसंहरणीय प्रत्यय पत्र को खोलना होगा :

परंतु यह कि स्टार्ट–अप ऊर्जा का उपयोग उत्पादन केन्द्र द्वारा संनिर्माण गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा :

परंतु यह कि आरएलडीसी निम्नलिखित स्थितियों में स्टार्ट–अप ऊर्जा की निकासी को बंद करेगा :

(क) यदि यह स्थापित हो जाता है कि उत्पादन केन्द्र द्वारा संनिर्माण गतिविधियों के लिए स्टार्ट–अप ऊर्जा का उपयोग किया गया है।

(ख) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर स्टार्ट–अप ऊर्जा की निकासी के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए मासिक पारेषण प्रभारों के भुगतान में उत्पादनकारी केन्द्र द्वारा व्यतिक्रम की दशा में :

परंतु यह कि अपवादात्मक परिस्थितियों में आयोग, विहित अवधि के पूरा होने से पूर्व, कम से कम दो माह में उत्पादन केन्द्र द्वारा किए गए आवेदन पर इस खंड में यथाविहित अवधि के आगे ऊर्जा के अंतःपरिवर्तन की अवधि बढ़ाने की अनुमति दे सकता है :

परंतु यह कि इस प्रकार की अनुमति प्रदान करते समय संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र ग्रिड सुरक्षा को ध्यान में रखेगा :

परंतु यह कि यह प्रमाणित करने का दायित्व उत्पादन केन्द्र के पास होगा कि उत्पादन केन्द्र के यूनिटों से अस्थिर ऊर्जा का अंतःपरिवर्तन कमीशनिंग गतिविधियों, परीक्षण तथा कमीशनिंग प्रयोजन के लिए किया गया है तथा संबंधित आरएलडीसी सीओडी से ऊर्जा के अंतर–परिवर्तन के प्रत्येक अवसर पर ऐसी जानकारी मांगेगा। इसके लिए उत्पादन केन्द्र आरएलडलसी को विनिर्दिष्ट कमीशनिंग गतिविधि, परीक्षण और पूर्ण भार परीक्षण, इसकी अवधि तथा अंतःपरिवर्तन की आशयित अवधि, आदि के पर्याप्त ब्यौरे उपलब्ध कराएगा :

परंतु यह भी कि उत्पादन संयंत्र के यूनिट (यूनिटों) द्वारा इस प्रकार अंतःपरिवर्तित अस्थिर ऊर्जा को विचलन के रूप में माना जाएगा और उत्पादक को, समय–समय पर, यथा–संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र तथा संबद्ध मामले) विनियम, 2014 या उसकी पश्चात्वर्ती अधिनियमितियों के उपबंधों के अनुसार, अस्थिर ऊर्जा के ऐसे अंतःक्षेपण/निकासी के लिए प्रदत्त/प्रभारित किया जाएगा।

हस्ता/–
(शुभा शर्मा)
सचिव

टिप्पण :

मूल अधिनियम भारत के राजपत्र सं. 140, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में तारीख 10.3.2009 को अधिसूचित किए गए थे तथा उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

(क) भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 3, खंड 4, क्रम सं. 225 में प्रकाशित तारीख 7.9.2010 की अधिसूचना

(ख) भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 3, खंड 4, क्रम सं. 72 में प्रकाशित तारीख 22.3.2012 की अधिसूचना

(ग) भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 3, खंड 4, क्रम सं. 86 में प्रकाशित तारीख 26.3.2013 की अधिसूचना